


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या2204 / 2013.....जिला.....पाली.....

उनवान- श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचरण जाति-अग्रवाल, निवासी-छावनी, शिवगंज, जिला-सिरोही बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक, सुमेरपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी पर बहस हेतु उपस्थित हुये।</p> <p>प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री खड़ग सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न है, जिसमें यह अंकित है कि प्रार्थी <u>राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014</u> का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विदद्दा करना चाहता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विदद्दा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विदद्दा करने के कारण, प्रस्तुत निगरानी "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  3.3.2015 (मदन लाल) सदस्य </p>	